मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

...ीन अधिकारी – स्वाति गुप्ता RAS

...वाद संख्या – 222/2023

1. ...चिन पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. ...विरेन्द्र पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – वादीगण

बनाम

1. ...मीकुमार पुत्र जयदेव जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. राकेश पुत्र जयदेव जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. जसवती पत्नी जगदीश पुत्री जयदेव जाति जाट निवासी चक 3 आर.डब्ल्यू.बी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. रामप्यारी पत्नी चानणराम पुत्री जयदेव जाति जाट निवासी चक 3 आर.डब्ल्यू.बी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. सिलोचना पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– –प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री दिनांक :– 20-08-2024

...वादी की ओर से श्री विजयपाल पारीक अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री रायसिंह ...ाकर अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20-08-2024 ....को स्वाति गुप्ता RAS उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद–पत्र स्वीकार किया जाता है कि वाद पत्र में वर्णित चक नम्बर 1 ए.जी. जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता संख्या 5/1 में रामी के नाम ...42/2045 हिस्सा अर्थात 0.426 हैक्टर भूमि के वादीगण व प्रति... खाता संख्या में रामी के नाम अंकित 341/2045 हिस्सा अर्थात 1.025 हैक्टर भूमि में वादीगण व ... संख्या 5 को 1/3 हिस्सा में व0हि0व0 के व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा ... व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 1 ए.जी. के वर्तमान संयुक्त खाता संख्या 5/1 में से रामी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:42:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 20.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---	योग	
योग			

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:42:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner